



2026:AHC:66345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7561 वर्ष 2026

एके राणा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: बुद्धि सागर त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. श्री एस.के. उपाध्याय, अधिवक्ता श्री बुद्धि सागर त्रिपाठी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री एन.के. शर्मा, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक को केस अपराध संख्या-61 वर्ष 2025 में धारा 318(2), 318(4), 61(2)(बी), 111(2)(बी), 341(1) बी.एन.एस., और 66डी ऑफ आई.टी. एक्ट, थाना-कोतवाली, जिला-आगरा के तहत ज़मानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक के नाम का खुलासा सह-आरोपी हिमांशु अग्रवाल ने पुलिस हिरासत में रहते हुए किया था। उक्त बयान, जहां तक यह आवेदक को फंसाता है, अविश्वसनीय है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कथित दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता वाली थीं। आवेदक के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। आवेदक न तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है और न ही उसने ऐसे सिंडिकेट की ओर से काम किया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि सह-आरोपी हिमांशु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रवाल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-39381 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 11.11.2025 के आदेश द्वारा ज़मानत दे दी गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक हलफनामे के प्रस्तर-3 में समझाया गया है। आवेदक 17.12.2025 से जेल में है। यदि उसे ज़मानत पर बढ़ाया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सका।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। आवेदक के नाम का खुलासा सह-आरोपी हिमांशु अग्रवाल ने पुलिस हिरासत में किया था। यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कथित दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता वाली थीं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। सह-आरोपी हिमांशु अग्रवाल को इस न्यायालय द्वारा ज़मानत दे दी गई है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में तीन महीने से अधिक समय तक कैद में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि ज़मानत पर बढ़ाया जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, ए.के. राणा को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;



iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

एसएस

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Version. Not for Legal Use.